



# मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग

रेसीडेन्सी क्षेत्र - इन्दौर

क्रमांक 17846/01/2018/चयन

इन्दौर दिनांक

120 FEB 2019

// विज्ञप्ति //

## सहायक संचालक (योजना) पद की उम्मीदवारी निरस्त किए जाने संबंधी सूचना ।

01. आयोग के विज्ञापन क्रमांक 01/2018/दिनांक 01.03.2018, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत सहायक संचालक (योजना) के कुल-12 रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन जारी किया गया है ।

02. सहायक संचालक (योजना) के अंतर्गत माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ-इंदौर द्वारा रिट पिटीशन क्रमांक 16612/2018 में पारित आदेश दिनांक 23.08.2018 को यथावत रखते हुए डब्ल्यू.ए. 1450/2018 एवं डब्ल्यू.ए. 1791/2018 दोनों याचिकाओं को खारिज किया गया है । उपरोक्त दोनों रिट अपीलों में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 01.02.2019 में मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 4 (4) के संदर्भ में की गई व्याख्या के फलस्वरूप सहायक संचालक (योजना) के कुल विज्ञापित पद 12 के अनुपात में विज्ञापन में विज्ञापित कंडिका अनुसार अर्हकारी परीक्षाओं की मेरिट सूची अनुसार 05 गुना आवेदकों को साक्षात्कार में सम्मिलित किया जाना है, साक्षात्कार हेतु आमंत्रित संशोधित नवीन सूची अनुसार अंतिम अर्ह आवेदक का कट ऑफ निम्न निर्धारित किया जाता है :-


1.	अनारक्षित श्रेणी	-	82.10 प्रतिशत
2.	अन्य पिछड़ा वर्ग	-	71.70 प्रतिशत

03. पैरा-2 में उल्लेखित व्यवस्था के क्रियान्वयन फलस्वरूप अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के 04 आवेदक जो पूर्व में अनारक्षित श्रेणी की सूची में सम्मिलित किए गए थे, स्वयं की श्रेणी में विचारित होने से अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में पूर्व में सम्मिलित 04 निम्न आवेदकों की साक्षात्कार की उम्मीदवारी अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में साक्षात्कार हेतु आमंत्रित अंतिम अर्ह आवेदक के कट ऑफ मार्क्स से कम अंक होने से निरस्त की जाती है :-

स.क्र.	रोलनंबर	नाम	श्रेणी	अर्हकारी परीक्षा के अंकों का प्रतिशत
01.	1256	सुजाता परमार	अ.पि.वर्ग	71.50
02.	1254	आदित्य पटेल	अ.पि.वर्ग	71.30
03.	1302	मनभावन सिंह	अ.पि.वर्ग	70.50
03.	1200	अवनि डारे	अ.पि.वर्ग	65.80

04. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के साक्षात्कार हेतु अर्ह आवेदकों की सूची पूर्व अनुसार यथावत रहेगी ।

05. आयोग की विज्ञप्ति क्रमांक 5717/01/2018/चयन, दिनांक 27 जून 2018 में साक्षात्कार की उम्मीदवारी निरस्त किए गए आवेदकों की उम्मीदवारी पूर्व अनुसार ही निरस्त रहेगी ।

  
20/2/19  
उप परीक्षा नियंत्रक